

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

ज्ञापन

कमांक A / 1.....

जबलपुर, दिनांक 04 जनवरी 2020

III-6-8/85

प्रति,

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
..... समस्त (म0प्र0)
2. प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय
..... समस्त (म0प्र0)

विषय :- वर्ष 2020 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के आयोजन के संबंध में।

संदर्भ :- सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्र कमांक फा.नं.19/नेश.लोक.अदा./रा.वि.से.प्रा./2991/2019 दिनांक 19.12.2019.

यथानिर्देश उपरोक्त विषयक आपकी ओर सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर (म.प्र.) से प्राप्त पत्र कमांक फा.नं.19/नेश.लोक.अदा./रा.वि.से.प्रा./2991/2019 दिनांक 19.12.2019 प्रेषित करते हुये अनुरोध है माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. वी.रमना, न्यायाधिपति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय, एवं कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2020 में समस्त न्यायालयों में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों के लिये निम्नानुसार कार्यक्रम/तिथियों निर्धारित की गयी है:-

S.No.	Month	Dates
1.	February 2020	08-02-2020
2.	April 2020	11-04-2020
3.	July 2020	11-07-2020
4.	September 2020	12-09-2020
5.	December 2020	12-12-2020

अतः वर्ष 2020 में नियत तिथियों में प्रस्तावित समस्त नेशनल लोक अदालतों से संबंधित अन्य समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं एवं तैयारी हेतु सर्व संबंधित जिला न्यायाधीशों/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालयों की भागीदारी एवं आगामी लोक अदालत में प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(बी.पी.शर्मा)
रजिस्ट्रार (डी.ई.)

पृ.क. A / 2.....

जबलपुर, दिनांक 04 जनवरी 2020

III-6-8/85

- प्रतिलिपि :-
1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर,
 3. अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम.....
 4. रजिस्ट्रार, औद्योगिक न्यायालय, इंदौर,
 5. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, 797, शांतिकुंज, दक्षिण सिविल लाईंस, जबलपुर
 6. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी.पी.शर्मा)
रजिस्ट्रार (डी.ई.)

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(574, साउथ सिविल लाईन्स, पचपेढी जबलपुर, 482001)
Off. Ph. 0761-2678352, E-mail:-mp/sajab@nic.in, Fax:-0761-2678537

ईमेल

क्र.फा.नं.19/नेश.लोक.अदा/राविसेप्रा/2991/2019 जबलपुर, दिनांक 19/12/2019
प्रति,

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर (म.प्र.) **नेशनल लोक अदालत**
2. रजिस्ट्रार/सचिव,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
जबलपुर (म.प्र.)
3. जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त जिला मध्यप्रदेश


विषय:- वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में।
संदर्भ:- नालसा का ईमेल पत्र क्र. F.No.L/34/2018/NALSA दिनांक 16.12.2019.

उपरोक्त, संदर्भित विषयान्तर्गत माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी.रमना, न्यायाधिपति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, वर्ष 2020 में समस्त न्यायालयों में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों के लिये निम्नानुसार कार्यक्रम/तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं:-

क्र.	माह	नियत तिथि
01.	फरवरी, 2020	08.02.2020
02.	अप्रैल, 2020	11.04.2020
03.	जुलाई, 2020	11.07.2020
04.	सितम्बर, 2020	12.09.2020
05.	दिसम्बर, 2020	12.12.2020

उक्त नेशनल लोक अदालतों में नालसा के निर्देश/गाइडलाइन के अनुसार न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन (क्रेटेगरीवाइस चिन्हित) प्रकरणों को ही निराकरण हेतु रखा जावेगा।

निरंतर...02

कागज बचाएं, पेड़ बचाएं  प्लास्टिक बचाएं, पर्यावरण बचाएं!


By Hand
19/12/2019

0 Line 80mm Section MPS 54 (4800x1100) 2020 0012

// 02 //

अतः यथानिर्दिष्ट नालसा के संदर्भित निर्देश/गाईडलाईन दिनांक 16.12.2019 की छायाप्राप्त संलग्न आपका आर प्रेषित कर अनुरोध है, कि कृपया वर्ष 2020 में नियत तिथियों में प्रस्तावित समस्त नेशनल लोक अदालतों एवं आगामी दिनांक 08 फरवरी, 2020 को आयोजित वर्ष का प्रथम नेशनल लोक अदालत से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं एवं तैयारी हेतु सर्वसंबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार विज्ञापन, न्यूज पेपर, प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से कराये जाने का कष्ट करें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार (नालसा के पत्र दिनांक 16.12.2019 की छायाप्रति)



(गिरिबाला सिंह)
सदस्य सचिव

पृ.फा.नं.19/नेश.लोक.अदा/राविसेप्रा/29⁹¹/2019 जबलपुर, दिनांक 19/12/2019
प्रतिलिपि:-


1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
2. संचालक, M0प्र0 राज्य न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर।
3. प्रधान न्यायाधीश, समस्त कुटुम्ब न्यायालय, समस्त जिला मध्यप्रदेश।
4. पीठासीन अधिकारी, समस्त श्रम न्यायालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट, जबलपुर/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/खण्डवा एवं रतलाम।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(गिरिबाला सिंह)
सदस्य सचिव



1:04 PM

कागज बचाएं, पेड़ बचाएं  प्लास्टिक हटाएं, पर्यावरण बचाएं!